फोन : 0832&2741757 फेक्स : 0832&2741758
ई-मेल : ro.goa@ibm.gov.in

कारण बताओ नोटिस
स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरों
क्षैत्रीय खान नियत्रंक का कार्यालय
पोस्ट-फार्टोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES
P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

संख्या: महा / कोल्हा / बाक्साइट-9 / गोवा खानकोड 07MSH13008 दिनांक : 28-07-2014

सेवामें

श्री सुरेन्द्र टी. कोडाचवाड, खान मालिक,
भरतेश कन्सट्रक्शन कम्पनी,
34/35 कारपोरेशन काम्पलेक्स, गोवा-वेस, हिन्दवाडी, बेलगाम-590011

विषय: महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के शाहूवाडी तालुका में स्थित आपकी गिरगॉव बाक्साइट खान 140.20 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन ।

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26.05.2014 को इस कार्यालय के श्री बी. ए. पाटिल, सहायक खनि भूवैज्ञानिक के साथ तथा श्री अमृत साबले, खान प्रबन्धक और श्री गुरु किरण, खनि अभियन्ता की उपस्थिती में उपरोक्त खान का निरीक्षण किया गया था और खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के निम्निलिखित नियमों के लिए समसंख्यक उल्लंघन पत्र दिनांक 06.06.2014 जारी किया गया था ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per approved scheme of mining and following deviations are observed during inspection. a) It was proposed in Para to develop Pit in between grid lines N1862913-N1863383, E379946-E380053. It is observed during inspection of mine that different pits are spread in between grid lines N1862860-N1863383, E379835-E380520 and the land degradation is more for less achieved production against the target. Development area towards south side of lease boundary is beyond the planned area and working faces are advanced upto grid line N1862860 by more than 50m towards south from proposed grid line N1862913. b) It was proposed in Para to develop Pits for total thickness of 12m from 984mRL to 972mRL. It is observed during inspection of mine that different pits are developed with total depth of 3-5m as per local topography. Geological reserves are re-estimated with 10m thickness of insitu ore in Para 3.3 and are on higher side due to less thickness of bauxite in all the working pits. Therefore, modification in scheme of mining is required for justified proposals. c) It was proposed in Para 6.0 & annexure-VII to carry out affoestation of 2000 plants over 1.0ha barren area every year within lease. It is observed during inspection of mine that afforestation of around 2000 plants was carried over minedout & backfilled area as per proposal of 2011-12; however afforestation over barren area is not carried out during the year 2012-13 and 2013-14.
27(4)	Plan and sections are required to maintain updated on every three months, which were not found updated at mines office on regular three months basis.

02. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि आपके पत्र संख्या कुछ नहीं दिनांक 10.07.2014 में प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है। खनन स्कीम में वर्ष 2014-15 के अन्त तक 18.00 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन विकास एवं उत्पादन करने प्रस्तावित किए गये थे तथा उसी अनुसार वित्तिय आश्वासन भी 18.00 हैक्टेयर क्षेत्र में अन्य मदो के क्षेत्र को शामिल करते हुए दिया गया था । आपके द्वारा वर्ष 2013-14 के अन्त में ही 27.00 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बॉक्साइट के लिए खनन विकास कार्य किया जा चुका है, जोकि खनन पिटो में उपलब्ध वास्तविक 4.00-5.00 मीटर मोटाई के बॉक्साइट की जगह खनन स्कीम में गलत दर्शाये 10.00-12.00 मीटर मोटाई के बॉक्साइट के कारण हुआ है। इस प्रकार अनुमोदित खनन स्कीम के प्रस्तावों से आए विचलन की मात्रा 50% से अधिक है। आपके द्वारा संशोधित खनन स्कीम बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया है, जबकि आपको इस बाबत उल्लंघन पत्र में लिखा गया था।

03. उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाए बन्द करने का आदेश भी जारी किया जा सकता है ।

04. अत: आपको इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **30 (तीस)** दिनों के भीतर के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों नहीं आपके उपर उपरोक्त अपराध के लिए न्यायलय में मुकदमा दायर कर दिया जाए।

05. कृपया ध्यान रहे कि इस बाबत आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियत्रंक

प्रतिलिपी सूचनार्थ : खान नियत्रंक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरों, बैगलूरू

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियत्रंक